# पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

**शम्स तबरेज**

बनाम

**इसरत जहां**

**2017 की विविध अपील संख्या 392**

5 मई, 2025

**(माननीय न्यायमूर्ति श्री पी.बी. भजंत्री एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. बी. पीडी. सिंह)**

विचार के लिए मुद्दा

क्या अपीलकर्ता ने 08.10.2007 को प्रतिवादी को तीन बार "*तलाक*" सुनाने के अपने दावे को उचित रूप से स्थापित किया है या नहीं?

हेडनोट्स

मुस्लिम कानून--- धारा 281, 308, 336(5)---पारिवारिक न्यायालय अधिनियम---धारा 7(1)(ए)---मुस्लिम कानून के तहत तलाकशुदा जोड़े का पुनर्विवाह---अपीलकर्ता द्वारा 08.10.2007 को प्रतिवादीको तीन बार "तलाक" सुनाए जाने को वैध, कानूनी और प्रभावी घोषित करने से इनकार करने वालेविवादित निर्णय को रद्द करने की अपील।

निर्णय:- अपीलकर्ता ने कहा है कि पहले उसने प्रतिवादी को "तलाक" कहा था और उसके तुरंत बाद "इद्दत" का खर्च और "दिन मेहर" की राशि का भुगतान किया गया था, लेकिन कुछ समय बाद उसने प्रतिवादी के साथ फिर से शादी कर ली लेकिन उस पुनर्विवाह की तारीख अपीलकर्ता द्वारा स्पष्ट नहीं की गई है ---- मोहम्मडन कानून के सिद्धांतों की धारा 336 (5) के तहत निर्धारित प्रक्रिया को अपीलकर्ता द्वारा नहीं अपनाया गया था, जो यह सुझाव देता है कि अपीलकर्ता द्वारा इस मामले में तीन बार "तलाक" और पुनर्विवाह की मनगढ़ंत कहानी पेश की गई थी ---- बेशक, पति और पत्नी के बीच झगड़े के कारण, पल भर में, अपीलकर्ता ने 08.10.2007 को तीन बार "तलाक" कहा, जो कि मोहम्मडन कानून के अनुसार

अनुमत नहीं है क्योंकि तीन बार "तलाक" कहने में पहले, दूसरे और तीसरे "तलाक" के बीच कुछ मध्यवर्ती अवधि निर्धारित की गई है----अतः, तीन बार "तलाक" की तथाकथित पूर्व घोषणा को अपीलकर्ता द्वारा किसी भी ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य के माध्यम से साबित नहीं किया गया है और ऐसा लगता है कि पूरी कहानी काल्पनिक है और "तलाक" की तथाकथित पूर्व घोषणा उस समय प्रचलित/लागू कानून के अनुसार ठीक से नहीं हुई है---आक्षेपित निर्णय में कोई त्रुटि नहीं है---अपील खारिज की जाती है। (पैरा- 14-16)

## न्याय दृष्टान्त

XXX

## अधिनियमों की सूची

मुस्लिम कानून ; पारिवारिक न्यायालय का अधिनियम

## मुख्य शब्दों की सूची

मुस्लिम कानून ; वैध तीन तलाक की आवश्यकताएं ; इद्दत का खर्च ; दैन मेहर की राशि ; तलाकशुदा मुस्लिम जोड़े का पुनर्विवाह ; मुस्लिम कानून के सिद्धांत

## प्रकरण से उत्पन्न

28.02.2017 को विद्वान प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, पश्चिम चंपारण, बेतिया द्वारा शीर्षक वाद संख्या 198/2007 में पारित निर्णय और डिक्री।

## पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता/ओं के लिए: श्री महता आलम, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं के लिए: श्री बशिष्ठ नारायण मिश्रा, अधिवक्ता ; श्री अविनाश राज, अधिवक्ता ;श्री ब्रज किशोर मिश्रा, अधिवक्ता

रिपोर्टर द्वारा हेडनॉट्स बनाया गया : घनश्याम, अधिवक्ता

**पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश**

## पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

**2017** की विविध अपील संख्या **392**

==========

शम्स तबरेज, पिता अतीकुर रहमान उर्फ जावेद, निवासी ग्राम- बेलवा, पी.एस.-साथी, जिला-पश्चिम चंपारण, वर्तमान में एवं पी.एस. साथी जिला-पश्चिम चंपारण में रह रहे हैं।

... ... अपीलकर्ता/ओं

बनाम

इसरत जहां, पिता एस.के. मोख्तार, निवासी ग्राम एवं पी.ओ.- बस्था, पी.एस.-मैनाटंड, जिला-पश्चिम चंपारण।

... ... प्रतिवादी/ओं

==========

उपस्थिति **:**

अपीलकर्ता/ओं की ओर से: श्री महता आलम, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं की ओर से : श्री बशिष्ठ नारायण मिश्रा, अधिवक्ता

श्री अविनाश राज, अधिवक्ता

श्री ब्रज किशोर मिश्रा, अधिवक्ता

==========

**समक्ष: माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री**

**और**

**माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. बी. पीडी. सिंह**

**सीएवी निर्णय**

**(प्रति : माननीय न्यायमूर्ति एस.बी.पीडी. सिंह)**

**दिनांक : 05-05-2025**

पक्षों की सुनवाई की गई।

2. वर्तमान अपील पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19(1) के तहत दायर की गई है, जिसमें पश्चिमी चंपारण के पारिवारिक न्यायालय, बेतिया के विद्वान प्रधान न्यायाधीश द्वारा दिनांक 28.02.2017 को पारित निर्णय और डिक्री को चुनौती दी गई है, जो मुस्लिम कानून की धारा 308 और पारिवारिक न्यायालय अधिनियम की धारा 7(1)(ए) के तहत दायर शीर्षक वाद संख्या 198/2007 में अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादी को दिए गए घोषणा के आधार पर 08.10.2007 से तलाक की घोषणा के लिए दायर किया गया था, जिसे पारिवारिक न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था।

3. फैमिली कोर्ट में दायर याचिका के अनुसार अपीलकर्ता का मामला यह है कि अपीलकर्ता-शम्स तबरेज ने मुस्लिम कानून की धारा 308 और पारिवारिक न्यायालय एक्ट की धारा 7(1)(ए) के तहत प्रतिवादी-इसरत जहां के खिलाफ 29.10.2007 को याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि दोनों पक्षों की शादी 12.1.2000 को हुई थी और वे शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन जीने लगे थे और उनके विवाह से दो बेटे पैदा हुए थे। कुछ समय बाद, प्रतिवादी ने खुद को एक झगड़ालू महिला के रूप में बदल लिया और हमेशा अपने माता-पिता के घर पर रहती थी। अपीलकर्ता एक गरीब व्यक्ति है जो जूते की दुकान पर सेल्समैन के रूप में काम करता है और यही कारण था कि प्रतिवादी अपने माता-पिता के घर पर रहती थी, जो आर्थिक रूप से संपन्न थे। अपीलकर्ता ने मामले को शांत करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके सारे प्रयास बेकार गए। अंततः अपीलकर्ता ने प्रतिवादी की *बिदागरी* के लिए *दारुल कजा*, बेतिया के समक्ष एक मामला दायर किया और *दारुल*

*कजा* ने प्रतिवादी को उसके ससुराल में रहने का आदेश दिया लेकिन ससुराल में 15 दिन रहने के बाद प्रतिवादी को उसके भाइयों द्वारा उसके पैतृक घर वापस ले जाया गया और तब से वह अपने पैतृक घर में रह रही है। अपीलकर्ता ने मुस्लिम कानून की धारा 281 के तहत वैवाहिक मामला संख्या 03/2007 भी दायर किया था लेकिन निचली अदालत के निर्देश के बावजूद प्रतिवादी अपने भाइयों के साथ अपने माता-पिता के घर चली गई और अदालत के आदेश की अवहेलना की। पक्षों के बीच कई आपराधिक मामले लंबित हैं। इसलिए, मजबूर करने वाली परिस्थितियों के मद्देनजर अपीलकर्ता ने प्रतिवादी से तलाक लेने का फैसला किया और कुछ गवाहों की उपस्थिति में 08.10.2007 को तीन बार *"तलाक"* सुनाया, जो अपरिवर्तनीय और अंतिम था। अब दिनांक 08.10.2007 से पक्षकारों के बीच वैवाहिक संबंध नहीं है। अपीलकर्ता ने प्रतिवादी को *"दिन मेहर"* की पूरी राशि और *"इद्दत"* का खर्च अदा कर दिया है। इसलिए, वह दिनांक 08.10.2007 को तीन बार कहे गए *"तलाक"* को वैध, कानूनी और प्रभावी घोषित करने की प्रार्थना करता है।

4. न्यायालय द्वारा जारी समन/नोटिस के जवाब में प्रतिवादी उपस्थित हुई और अपना जवाब/लिखित बयान दाखिल किया।

5. अपने लिखित बयान/जवाब में प्रतिवादी ने कहा है कि उपरोक्त याचिका में बताए गए अधिकांश तथ्य और आरोप झूठे और निराधार हैं और मामला कानून की नजर में या तथ्यों के आधार पर चलने योग्य नहीं है। वह अभी भी अपीलकर्ता की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है और उसका कभी तलाक नहीं हुआ। वह अभी भी अपीलकर्ता के साथ शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन जीने के लिए तैयार है, लेकिन अपीलकर्ता ही है जो प्रतिवादी के साथ वैवाहिक संबंध जारी नहीं रखना चाहता है। शिकायत मामला संख्या 2948-सी वर्ष 2007 में अपीलकर्ता के पिता ने प्रतिवादी को

6.11.2008 को शम्स तबरेज (अपीलकर्ता) की पत्नी के रूप में पेश किया। यह प्रतिवादी के कथन का समर्थन करता है कि वह अभी भी अपीलकर्ता की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है।

6. दोनों पक्षों के प्रतिद्वंद्वी तर्कों के आधार पर, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इस मामले में निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए गए:-

*1. क्या तैयार किया गया मुकदमा बनाए रखने योग्य है?*

*2. क्या वादी-अपीलकर्ता के पास यह मामला दायर करने के लिए कार्रवाई का कारण है?*

*3. क्या वादी ने गवाहों की उपस्थिति में 08.10.2007 को प्रतिवादी/प्रतिवादी को तलाक दिया था?*

*4. क्या वादी-अपीलकर्ता ने इस्लामिक कोर्ट दारुल कजा, बेतिया में मामला दायर किया था, जिसके आदेश का पालन इस दंपत्ति द्वारा नहीं किया गया?*

*5. क्या वादी-अपीलकर्ता दावा के अनुसार राहत पाने का हकदार है?*

*6. क्या वादी-अपीलकर्ता किसी अन्य राहत या राहतों का हकदार है?*

7. सुनवाई के दौरान, अपीलकर्ता की ओर से कुल चार गवाह पेश किए गए हैं, जो हैं पी.डब्लू.-1 नसीम अख्तर, पी.डब्लू.-2 शमीम अख्तर, पी.डब्लू.-3 मोहम्मद आरिफ और पी.डब्लू.-4 शम्स तबरेज (अपीलकर्ता), जिन्होंने कहा है कि प्रतिवादी

अपीलकर्ता की तलाकशुदा पत्नी है, जिनकी शादी 12.01.2000 को हुई थी। विवाह से दो बेटे अब्दुल्ला और वलीउल्लाह पैदा हुए। कुछ समय बाद, प्रतिवादी का व्यवहार बदल गया और उसने अपीलकर्ता सहित अपने ससुराल वालों के साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया। वह हमेशा अपने मायके चली जाती थी और अपीलकर्ता की सहमति के बिना लंबे समय तक वहीं रहती थी। जब अपीलकर्ता ने मामले को शांत करने का प्रयास किया तो उसने अपने *ससुराल* वापस आने से साफ इंकार कर दिया। अपीलकर्ता एक जूते की दुकान में एक साधारण सेल्समैन है जो 1200/- रूपये प्रतिमाह कमाता है। प्रतिवादी के भाइयों के हस्तक्षेप के कारण स्थिति इतनी तनावपूर्ण और कटु हो गई कि अपीलकर्ता ने प्रतिवादी को तीन बार तलाक कहने का निर्णय लिया और अंततः 08.10.2007 को उसने तीन बार "*तलाक*" कह दिया और उस तिथि से दोनों पक्षों के बीच कोई वैवाहिक संबंध नहीं रहा। उसने प्रतिवादी को 2100/- रूपये "*दैन मेहर*" और "*इद्दत*" का खर्च पहले ही दे दिया है।

8. प्रतिवादी की ओर से कुल चार गवाहों की जांच की गई जो हैं ओ.पी.डब्लू.-1 नूरशेद आलम, ओ.पी.डब्लू.-2 गुलाब नूर, ओ.पी.डब्लू.-3 शहनाज बेगम और ओ.पी.डब्लू.-4 इसरत जहां (प्रतिवादी), ने कहा है कि प्रतिवादी अपीलकर्ता की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है, जिसका विवाह 12.01.2000 को हुआ था। विवाह के बाद, वह अपीलकर्ता के साथ शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन जीने लगी, लेकिन कुछ समय बाद, अपीलकर्ता और ससुराल के अन्य परिवार के सदस्यों ने दहेज की मांग पूरी न होने पर प्रतिवादी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और अंततः उसे उसके ससुराल से निकाल दिया गया और तब से वह अपने दो बेटों के साथ *मायके* में रह रही है। वह अभी भी पत्नी के रूप में अपना कर्तव्य निभाने के लिए तैयार है, लेकिन यह अपीलकर्ता है जो प्रतिवादी के साथ अपने वैवाहिक दायित्व को जारी रखने में रुचि नहीं रखता है। अपीलकर्ता ने कभी भी कोई "*तलाक*" नहीं कहा जैसा कि उसके द्वारा

08.10.2007 को कहा गया था और वह अभी भी अपीलकर्ता की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है। अपीलकर्ता ने कभी भी "*दिन मेहर*" और "*इद्दत*" के खर्च के लिए कोई राशि नहीं चुकाई।

9. मुकदमे के समापन के बाद, विद्वान प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय ने माना है कि अपीलकर्ता ने 08.10.2007 को तीन "*तलाक*" सुनाए जाने के अपने दावे को ठीक से साबित नहीं किया है। तदनुसार, विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपीलकर्ता मुस्लिम कानून की धारा 308 और पारिवारिक न्यायालय अधिनियम की धारा 7(1)(ए) के तहत दायर किसी भी राहत के लिए हकदार नहीं था और मुकदमा तदनुसार खारिज कर दिया गया।

10. इसके बाद, विद्वान पारिवारिक न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय और डिक्री से व्यथित और असंतुष्ट होने के कारण, अपीलकर्ता द्वारा वर्तमान अपील दायर की गई है।

11. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री खराब है तथा ऐसा प्रतीत होता है कि विवेकपूर्ण विचार के बिना यंत्रवत् पारित की गई है। पारिवारिक न्यायालय इस तथ्य को समझने में विफल रहा है कि दिनांक 08.10.2007 को अपीलार्थी द्वारा साक्षियों अर्थात् पी.डब्लू. 1, 2 एवं 3 की उपस्थिति में तलाक की घोषणा की गई थी। अपीलार्थी ने प्रतिवादी की *विदाई* के लिए *दारुल कजा (शरीयत न्यायालय)*, बेतिया के समक्ष मामला दायर किया है तथा प्रतिवादी को अपने पति के साथ *ससुराल* में रहने का निर्देश दिया गया था, लेकिन 15 दिनों के बाद वह अपने माता-पिता के घर वापस आ गई। अपीलार्थी ने मुस्लिम कानून की धारा 281 के अंतर्गत वैवाहिक मामला संख्या 03/2007 भी दायर किया है, लेकिन न्यायालय के निर्देश के बावजूद

प्रतिवादी ने अपने *ससुराल* में नहीं रहने का विकल्प चुना। इन सभी तथ्यों पर अधीनस्थ विद्वान न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया तथा अपीलकर्ता का वाद तुरन्त खारिज कर दिया गया।

12. *इसके विपरीत,* प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आक्षेपित निर्णय तथा डिक्री विधि सम्मत तथा विधि के अनुसार है। विद्वान विचारण न्यायालय ने दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों का सही परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन किया है तथा अपीलकर्ता की ओर से दायर वाद को सही ढंग से खारिज कर दिया है।

13. दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत प्रतिद्वन्द्वी तर्कों, साक्ष्यों तथा तर्कों के मद्देनजर, इस अपील में निर्धारण हेतु मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार हैं:-

> *(i) क्या अपीलकर्ता अपनी याचिका/अपील में मांगी गई राहत का हकदार है।*
>
> *(ii) क्या प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय का आक्षेपित निर्णय विधि की दृष्टि में उचित, न्यायसंगत तथा संधारणीय/तर्कसंगत है।*

14. मामले के गुण-दोष पर विचार करने से पहले, इस न्यायालय को यह जांच करनी है कि अपीलकर्ता द्वारा सुनाया गया तीन "*तलाक*" मुस्लिम कानून के अनुसार उचित था या नहीं। अपीलकर्ता का दावा है कि उसने 08.10.2007 को गवाहों नसीम अख्तर (पी.डब्लू. 1), शमीम अख्तर (पी.डब्लू. 2) और मोहम्मद आरिफ (पी.डब्लू. 3) की मौजूदगी में तीन "*तलाक*" सुनाया था, लेकिन नसीम अख्तर (पी.डब्लू. 1) ने अपनी मुख्य जांच में यह स्पष्ट नहीं किया था कि उसकी

मौजूदगी में तथाकथित तीन "*तलाक*" सुनाया गया था। शिकायत के पैरा 12 में अपीलकर्ता ने कहा है कि पहले उसने प्रतिवादी को "*तलाक*" दिया था और "*इद्दत*" का खर्च और "*दिन मेहर*" की राशि उसके तुरंत बाद अदा की गई थी, लेकिन कुछ समय बाद उसने प्रतिवादी से दोबारा शादी कर ली, लेकिन अपीलकर्ता ने उस दोबारा शादी की तारीख स्पष्ट नहीं की है।

15. मोहम्मडन कानून के सिद्धांत तलाकशुदा जोड़े के दोबारा विवाह को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं। मोहोमेदान कानून के सिद्धांतों की धारा 336(5) इस प्रकार है:-

> *"(5) तलाकशुदा जोड़े का पुनर्विवाह।-*
>
> *(I) जहां पति ने अपनी पत्नी को तीन घोषणाओं [311(2) और 311(3)(i)] द्वारा अस्वीकार कर दिया है, उसके लिए उससे फिर से विवाह करना तब तक वैध नहीं है जब तक कि उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह नहीं कर लिया हो, और बाद में विवाह के वास्तविक समापन के बाद तलाक हो गया हो या उसकी मृत्यु हो गई हो। वैधता की स्वीकृति से उत्पन्न विवाह की धारणा (267) तलाकशुदा व्यक्तियों के बीच पुनर्विवाह पर लागू नहीं होती है जब*

*तक कि यह स्थापित न हो जाए कि तलाक द्वारा बनाए गए पुनर्विवाह पर रोक को मध्यवर्ती विवाह और वास्तविक समापन के बाद के तलाक को साबित करके हटा दिया गया था। भले ही तलाकशुदा व्यक्तियों के बीच पुनर्विवाह साबित हो जाए, विवाह तब तक वैध नहीं है जब तक कि यह स्थापित न हो जाए कि पुनर्विवाह पर रोक हटा दिए जाने पर, केवल इस तथ्य से कि पक्षों ने पुनर्विवाह कर लिया है, उपरोक्त शर्तों की पूर्ति के बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। उपरोक्त शर्तों की पूर्ति के बिना विवाह अनियमित है, शून्य नहीं।*

*(ii) अन्य सभी मामलों में, तलाकशुदा पक्ष पुनर्विवाह कर सकते हैं जैसे कि इद्दत के दौरान या उसके पूरा होने के बाद कोई तलाक नहीं हुआ था।*

16. अपीलकर्ता द्वारा यह प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, जिससे पता चलता है कि अपीलकर्ता द्वारा इस मामले में तीन बार "*तलाक*" और पुनर्विवाह की मनगढ़ंत कहानी गढ़ी गई थी। अपीलकर्ता का यह स्वीकार किया गया मामला है कि दोनों पक्षों ने 12.01.2000 को विवाह किया और विवाह से दो बेटे पैदा हुए। इसके बाद

पति-पत्नी के बीच झगड़े के कारण, क्षण भर में, अपीलकर्ता ने 08.10.2007 को तीन बार "*तलाक*" बोल दिया, जो कि मोहम्मडन कानून के अनुसार मान्य नहीं है, क्योंकि तीन बार "*तलाक*" बोलने में पहले, दूसरे और तीसरे "*तलाक*" के बीच कुछ अंतराल निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा, 12.01.2000 को शादी के समय, "*दिन मेहर*" की राशि 51,000/- रुपये थी, लेकिन अपीलकर्ता का दावा है कि उसने "तलाक" के बाद 2100/- रुपये "*दिन मेहर*" के रूप में अदा किए थे, जो अपीलकर्ता की कहानी को भी संदिग्ध बनाता है। अतः, तथाकथित तीन बार "*तलाक*" कहने को वादी द्वारा किसी भी ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य के माध्यम से सिद्ध नहीं किया गया है और ऐसा लगता है कि पूरी कहानी काल्पनिक है और तथाकथित "*तलाक*" कहने को उस समय प्रचलित/प्रचलित कानून के अनुसार ठीक से नहीं किया गया है।

17. उपरोक्त तथ्यों पर विचार करते हुए, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी ने 08.10.2007 को तीन बार "*तलाक*" कहने के अपने दावे को ठीक से स्थापित नहीं किया है।

18. इसलिए, हमें वर्तमान अपील में कोई योग्यता नहीं मिलती है, जो कि आरोपित निर्णय में किसी भी हस्तक्षेप को वारंट करती है। पारिवारिक न्यायालय ने अपीलकर्ता की ओर से दायर शीर्षक वाद संख्या 198/2007 को सही ढंग से खारिज कर दिया है।

19. तदनुसार, वर्तमान अपील को आरोपित निर्णय की पुष्टि करते हुए खारिज किया जाता है।

**(एस.बी. पी.डी. सिंह, न्यायमूर्ति)**

**(पी. बी. भजंत्री, न्यायमूर्ति)**

शगीर/-

**खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।**